

GUIDELINES FOR COUNSELLING

(काउंसिलिंग के लिए दिशा-निर्देश)

1. It is necessary to register for counseling for all qualified applicants who are interested to take admission in 2 year B.Ed. Course.	1. 2 वर्षीय बी.एड. कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी सफल आवेदकों के लिए काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है।
2. It is also to be noted that Selection of colleges and preference is one time process.	2. यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालयों का चयन एवं वरीयता एक बार की ही प्रक्रिया है।
3. Once a candidate is allotted any college he/she will not be considered for subsequent counseling(s).	3. एक बार किसी अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया है तो उन्हें आगे की काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा।
4. Reservation rosters are implemented only in Government and Constituent Colleges.	4. आरक्षण रॉस्टर केवल सरकारी और अंगीभूत महाविद्यालयों में ही लागू है।
5. 50% seats in Minority Colleges are reserved for the concerned minority candidates.	5. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 50% सीटें संबंधित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।
6. It is necessary to select at least three (03) Colleges from one or all universities.	6. एक या सभी विश्वविद्यालयों से कम-से-कम तीन (03) कॉलेजों का चयन करना अनिवार्य होगा।
7. Applicants may select maximum Nine (09) Colleges from one or all universities.	7. अभ्यर्थी एक या सभी विश्वविद्यालयों से अधिकतम नौ (09) कॉलेजों का चयन कर सकते हैं।
8. Minority applicants are informed here with that 50% seat are reserved for them, to claim the minority seats select the minority colleges.	8. अल्पसंख्यक आवेदकों (मुस्लिम/ ईसाई) को सूचनाय है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों की आधी सीटें उनके लिए आरक्षित है, इस हेतु आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए अल्पसंख्यक कॉलेजों का चयन करें।
9. Fee once deposited shall not be refunded under any circumstances.	9. शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा।